



लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

एकीकृत शिक्षा परिसर, पेशन बाड़ा, रायपुर

फोन नम्बर- 0771-2331384, 2331385 फैक्स नम्बर-0771-2445215



क्रमांक/म0भो0/165/DFS/2012/

696

रायपुर, दिनांक 8-06-2012

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर (छ0ग0)
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (छ0ग0)
3. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (छ0ग0)

विषय :- डबल फोर्टीफाईड नमक का अनिवार्यतः उपयोग करने के संबंध में ।

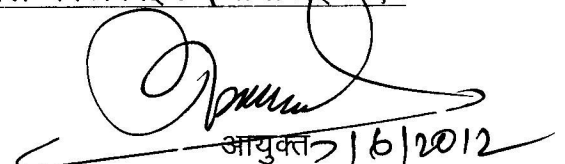
संदर्भ :- भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली का पत्र क्रमांक D.O.No.5-5/2011-MDM-1-1(EE-5)दिनांक 1 जुलाई,2011.

—000—

विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक /MDM/165/IDD-PD/2009/365 दिनांक 12.10.09 का अवलोकन करें, जिसमें भारत सरकार के निर्णय अनुसार अयोडिनयुक्त नमक के उपयोग हेतु लोगों को जागृत करने के लिए एवं IDD पर नियंत्रण के लिए देश में 21 अक्टूबर को “Global Iodine Deficiency Disorders (IDD) Prevention Day” के रूप में मनाये जाने के निर्देश दिये गये थे।

भारत सरकार द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि देश में लगभग 70 प्रतिशत महिला एवं 50 प्रतिशत पुरुष एनिमिया (शरीर में आयरन की कमी) से ग्रसित रहते हैं तथा बच्चों के जन्म के दौरान माता की मृत्यु में 50 प्रतिशत कारण एनिमिया ही होता है। शिशु मृत्यु दर में भी 54 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु का कारण शिशु का एनिमिक होना होता है। लौहयुक्त खाद्य एवं अतिरिक्त आयरन के प्रदाय से एनिमिया की रोक थाम हो सकती है। इन्हीं कारणों से मध्यान्ह भोजन संदर्शिका के बिन्दु क्रमांक 4.5 में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत केवल डबल फोर्टीफाईड आयोडाईन एवं लोहयुक्त (DFS) नमक के उपयोग हेतु निर्देश दिया गया है,जिससे बच्चों का समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके।

अतः अपने जिले में मध्यान्ह भोजन योजना में केवल डबल फोर्टीफाईड (आयोडाईन एवं लोहयुक्त DFS) नमक के उपयोग हेतु निर्देश जारी करें।


आयुक्त 7/6/2012
लोक शिक्षण,छ0ग0
रायपुर

क्रमांक/म0भो0/165/DFS/2012/

697

रायपुर, दिनांक 8-06-2012

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय डी.के.एस.भवन रायपुर।
2. सचिव, छ0ग0 शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. आयुक्त, आदिम जाति विकास विभाग पं.रविशंकर विश्व विद्यालय परिसर रायपुर।


लोक 7/6/2012
शिक्षण,छ0ग0